फाइल नं0-71-1002(002)/23/2021

संख्या-73/2024/I/530771/2024

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 28 मार्च, 2024**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ के कैम्पस की आंतरिक सड़कों के सुदृढ़ीकरण/मरम्म्त/सुधार कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2023-24/785, दिनांक 09.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ के कैम्पस की आंतरिक सड़कों के सुदृढ़ीकरण/मरम्म्त/सुधार कार्य हेतु स्वीकृत लागत रू0 591.95 लाख के सापेक्ष परियोजना की अवशेष धनराशि रू0 491.95 लाख अवमुक्त किये जाने पर विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ के कैम्पस की आंतरिक सड़कों के सुदृढ़ीकरण/मरम्म्त/सुधार कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-41-राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ हेतु मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रश्नगत कार्य हेतु प्रथम किश्त की देय धनराशि **रू0 195.975 लाख (रू0 एक करोड़ पनचानवे लाख सतानवे हजार पॉच सौ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष् प्रदान करते है:-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनॉक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

4- कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।

5- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

6- शासनादेश संख्या-46/2023/I/293407/2023-71-1002(002)/23/2021, दिनांक 25.03.2023 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,95,97,500 (रुपये एक करोड़ पंचानबे लाख सत्तानवे हजार पांच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आयव्ययक मे- अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031054100 मेडिकल कालेज मेरठ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

<u>संख्या व तद्दिनांक-उपर्युक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
4. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ।
7. परियोजना प्रबन्धक , लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
10. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in